

प्रपत्र-“ब”

ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-3.1.8)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (i) आवेदक का नाम
- (ii) वर्तमान पता
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
4. भवन का अनुमन्य उपयोग
5. (i) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि
- (ii) परमिट संख्या
- (iii) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण :
यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो -
मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें :
6. (i) यदि अनाधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें
- (ii) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें

7. निर्माण की स्थिति:

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.1 भू-आच्छादन(प्रतिशत)
 7.2 एफ.ए.आर.
 7.3 सैट बैंक (दूरी मीटर में)
 (क) सामने
 (ख) पीछे
 (ग) दाएं
 (घ) बाएं

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में)
 7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग
 7.5 स्ट्रिक्ट फ्लोर
 (अ) क्षेत्रफल
 (ब) उपयोग
 7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व.मी. में)
 7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में)
 7.8 मंजिलों की संख्या

8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए:

- (क) जल-आपूर्ति
 (ख) मलोत्सारण
 (ग) विद्युत आपूर्ति
 (घ) जल निकास
 (ङ) लिफ्ट

(चीफ इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

10. गारवेज शूट

(है/नहीं)

11. एविएशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में
 एविएशन लाइट्स

लगी हैं/नहीं लगी हैं

12. भवन में आन्तरिक परिवर्तन:

(क) उपविधियों के अन्तर्गत

है/नहीं है

(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो
उसका शमन हो चुका है।

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

1.

2.

3.

दिनांक

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)

टिप्पणी :- 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

2. भवन कामप्लेक्स में प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।